न्यायमूर्ति के. कन्नन के समक्ष

इब्बार @ इब्राहिम–*याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी संख्या 676/2011

19 अप्रैल, 2011

पंजाब गोहत्या निषेध अधिनियम, 1955–धारा 3/8 और 5/8-यह नहीं माना जा सकता कि मांस केवल रासायनिक परीक्षण के बिना नग्न आंखों से निरीक्षण पर गोमांस था–इसके अलावा, याचिकाकर्ता को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया और गुप्त मुखबिर का बयान भी लिखित रूप में कम नहीं हुआ। आरोपियों के पास से चाकू, कुल्हाड़ी या गुटखा भी बरामद नहीं हुआ–कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता गाय का वध कर रहा था या यहां तक कि गोमांस बेच रहा था–याचिका की अनुमति दी।

Held, यह मानना सुरक्षित होगा कि याचिकाकर्ता पंजाब गोवध निषेध अधिनियम, 1955 की धारा 3/8 और 5/8 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, इस तथ्य को देखते हुए कि वह न तो गाय का वध करते हुए पाया गया और न ही गोमांस बेचता पाया गया। इसके अतिरिक्त, उसे मौके से गिरफ्तार भी नहीं किया गया था और यह पुष्टि करने के लिए कोई रासायनिक परीक्षण नहीं किया गया था कि मांस गोमांस है या नहीं। अभियोजन की कहानी किसी भी विश्वास को प्रेरित करने के लिए आयोजित नहीं की जा सकती है। यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध केवल अनुमान

या धारणा के आधार पर साबित किया गया है।

(Para 9)

पी.आर. यादव, याचिकाकर्ता के वकील।

प्रीति चौधरी, एएजी, हरियाणा राज्य के लिए।

न्यायमूर्ति आलोक सिंह (मौखिक)

1. अभियुक्त, इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान करके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फिरोजपुर झिरका द्वारा पारित दिनांक 13 जून, 2009 के निर्णय और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह द्वारा पारित दिनांक 10 फरवरी, 2011 के निर्णय का विरोध कर रहा है, जिसके तहत अभियुक्त को पंजाब गोहत्या निषेध अधिनियम की धारा 3/8 और 5/8 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया गया था। 1955 (इसके बाद 1955 अधिनियम के रूप में संदर्भित) और तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1955 अधिनियम की धारा 3/8 के तहत 5000 रुपये का जुर्माना देने और जुर्माना अदा करने में चूक की स्थिति में, 90 दिनों के कठोर कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया था; उन्हें तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और विभिन्न प्राधिकरणों की धारा 5/8 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है, गोमांस का मांस चमकीले से गहरे लाल रंग का होना चाहिए और वसा सफेद या क्रीम सफेद होना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि रासायनिक परीक्षण यह पता लगाने के लिए आवश्यक था कि क्या मांस गोमांस से संबंधित है

और गोमांस की फैटी संपत्ति है।

2. हरियाणा के विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि डॉ. संजीव खान पीडब्लू 1 ने शपथ पर कहा है कि शारीरिक जांच करने पर गोमांस में पीले वसा वाले मांस पाए गए। उसने आगे तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को 45 किलोग्राम का गोमांस ले जाते हुए पाया गया था, इसलिए यह सही माना जाता है कि वह गाय को मारने के बाद बेचने के उद्देश्य से गोमांस ले जा रहा था। इसलिए, नीचे के न्यायालयों के निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

3. मांस और मांस उत्पादों के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विशेषज्ञों ने राय दी है कि पैरा 4 में पुनरुत्पादित विभिन्न मांस के अलग-अलग रंग और अलग-अलग वसा होंगे। संशोधन के खंड 5 और 6 जो निम्नानुसार पठित हैं -

4. निर्विवाद रूप से, यह पता लगाने के लिए प्रश्नाधीन मांस की कोई रासायनिक जांच नहीं की गई कि क्या वह भोजन गोमांस का है और उसमें वसा था या नहीं, पुनरीक्षण याचिका के पैरा 4, 5 और 6 में दिए गए चार्ट के अनुसार जिसे यहां पुन प्रस्तुत किया जा रहा है-

प्रजातियां	गोश्त	चरबी
गोमांस	चमकीला से गहरा लाल	सफेद या क्रीम
बकरी	हल्के से गहरे लाल तक	चाक सफेद
पोर्क	ग्रे गुलाबी से ग्रे लाल	सफेद

Fat	Palmetire	Stearic	Palme-Toleic	oleic	linoleic	linolenic	Arachidonic
Beef	29	20		42			
Pork	28	13	3	46			
Mutton	25	25		39			

5) कि लेख में "बीफ का सबसे अच्छा कटौती चुनना" यह उल्लेख किया गया है कि गोमांस के किनारों के आसपास वसा उसे हाथी दांत के दौरान होना चाहिए। इसी प्रकार गोमांस के संबंध में ताजा मांस का चयन कैसे करें लेख में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है: -

"सभी ताजा गोमांस गहरे रंग के होने चाहिए और" रसदार "और कसाई की मेज पर गीला दिखाई देना चाहिए। सूखे गहरे लाल गोमांस बहुत लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहे हैं। "मार्बलिंग" शब्द का उपयोग मांस के माध्यम से वसा फनिंग का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह मांस को उसका स्वाद और कोमलता देता है। इसके अलावा, गोमांस वसा वह मलाईदार और रंग में पीला नहीं होना चाहिए "

6) कि इलिनोइस विश्वविद्यालय ने अपने लेख "सोर्सिंग उच्च गुणवत्ता वाले बीफ" में: खुदरा विक्रेताओं गाइड, सिर के तहत रंग नीचे उल्लेख किया गया है:

"9) रंग- अनुसंधान से पता चला है कि मांसपेशियों का रंग गोमांस स्वाद में भिन्नता का 15 से 23% बताता है। रंग का महत्व उपभोक्ता वरीयता और रस से परिलक्षित होता है। ताजा गोमांस वह चेरी लाल (नीचे) रंग में चाहिए। आहार, नस्ल और जानवरों की उम्र वसा के रंग को प्रभावित करती

है। गोमांस के लिए इष्टतम वसा रंग सफेद है।"

5. विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने संशोधन के पैरा 4, 5 और 6 में बताए गए विभिन्न अध्ययनों पर विवाद नहीं किया है।

6. इस अदालत की राय में, यह कहना पूरी तरह से असुरक्षित होगा कि मांस बिना किसी रासायनिक जांच के नग्न आंखों से देखा गया था। इसके अलावा, डॉ. संजीव खान पीडब्लू 1 ने शपथ पर कहा है कि बरामद मांस पर पीले वसा थी। जबकि अनुच्छेद "मांस और मांस उत्पाद" के अनुसार जैसा कि पहले पुनरुत्पादित किया गया है, गोमांस में सफेद या क्रीम रंग का वसा होना चाहिए।

7. निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, साइकिल छोड़ने के बाद मौके से भागते समय याचिकाकर्ता और साइकिल की पिछली सीट पर कस दिया गया बैग, जिसमें मांस था, की पहचान मौके पर गुप्त मुखबिर द्वारा की गई थी। हालांकि, गुप्त मुखबिर का बयान लिखित रूप में कम नहीं किया गया था। इस न्यायालय की राय में, कथित अभियोजन कहानी कि सरसों के खेत में मौके से भागते समय याचिकाकर्ता की पहचान एचसी देवी राम द्वारा भी की गई थी, विश्वास को प्रेरित नहीं करती है क्योंकि याचिकाकर्ता को पुलिस द्वारा पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता को एचसी देवी राम के लिए कैसे जाना जाता था, यह अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। एचसी देवी राम का फ्लोटिंग बयान कि वह घटना से पहले आरोपी को जानता था, फ्लोटिंग स्टेटमेंट लगता है।

8. आरोपी के पास से कोई चाकू, कुल्हारी या गुटखा बरामद नहीं

किया गया, जिससे यह कहा जा सके कि उसने 1955 के अधिनियम की धारा 3/8 के तहत अपराध को दंडनीय बनाने के लिए गाय का वध किया है। किसी ने भी उन्हें गाय का वध करते या गोमांस बेचते हुए धारा 3/8 या 1955 अधिनियम की धारा 5/8 के तहत अपराध करते नहीं देखा है। इस बात के सकारात्मक सबूत होने चाहिए कि याचिकाकर्ता गाय का वध करते हुए पाया गया था या गोमांस बेच रहा था।

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को गाय का वध करते या गोमांस बेचते हुए नहीं पाया गया था और उसे मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था और यह पता लगाने के लिए कोई रासायनिक जांच नहीं की गई थी कि मांस गोमांस का है, याचिकाकर्ता को 1955 की धारा 3/8 और 5/8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा। अभियोजन की कहानी विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। आपराधिक मामलों में, अपराध को केवल अनुमान या धारणा के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता है।

10. पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाए, अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है।

एम. जैन

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक

उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा